



राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठारीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०ए०

राजस्व अपील सं. 10/2024

अपीलांटगण :-

- जाफर अली पुत्र श्री
अकबर अली जाति
मोयला निवासी
सिणधरी चौसीरा,
तहसील सिणधरी,
जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

- राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार,
सिणधरी।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.09.2022 जो प्रकरण सं. 05/2022 तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

- श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19.06.2024

- अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण सं. 05/2022 सरकार बनाम जाफर अली में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 के विरुद्ध दिनांक 07.03.2024 को इस न्यायालय में पेश की गई है।
- प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का सिणधरी द्वारा तहसीलदार सिणधरी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिणधरी चौसीरा के खसरा नम्बर 61/11 रकबा 0.07 बीघा किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान भूमि पर गैर सायल जाफर अली पुत्र अकबर अली जाति मोयला द्वारा अनाधिकृत केबिन(दुकान) के रूप में कब्जा कर लिया है, जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत



Page 1 of 5

जिला कलक्टर
बालोतरा

दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 23.09.2022 के द्वारा 50/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने दिनांक 07.03.2024 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. अधिवक्ता अपीलांत ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौजा सिणधरी चौसीरा के खेत खसरा नंबर 61 गैर मुमकिन गौचर के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.12(3)(19) राजस्थान/99/3847-53 दिनांक 28.06.1999 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 08.07.1999 की पालना में राजस्व रेकॉर्ड की जमाबंदी में संवत् 2054 से 2057 में नया खसरा नंबर 61/11 रकबा 6 बीघा 3 विस्वा भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम दिनांक 30.09.1999 आवंटित करते हुए राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की गई। तत्पश्चात् उक्त खसरा नंबर भूमि वक्फ सम्पति के रूप में धारा 26 वक्फ अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड में पंजीबद्ध करवाई गई एवं वक्फ इन्द्राज रजिस्टर में हुक्म सी.ई.ओ. वक्फ दिनांक 07.08.2022 के तहत इन्द्राज किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि का संचालन वक्फ कमेटी मुस्लिम इंतजामिया समाज विकास सेवा संस्थान सिणधरी द्वारा किया जा रहा है। उक्त सम्पति के रख रखाव एवं कब्रिस्तान के संचालन हेतु करीब आधा बीघा भूमि जो बालोतरा बाड़मेर रोड़ पर दुकानों का निर्माण करवाकर उक्त दुकाने किराये पर दी हुई है। उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है एवं उक्त



दुकाने, केबिन वक्फ की जायदाद के अधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर किरायेदारों के विरुद्ध यह प्रकरण सस्थित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्फ सम्पत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही करना चाहता है तो सर्वप्रथम वक्फ सम्पत्ति के संचालन हेतु बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष या सचिव को सर्वप्रथम नोटिस देना अनिवार्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। अपीलकर्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में पैरवी हेतु अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 13.09.2022 को वकालतनामा पेश किया गया एवं पत्रावली दिनांक 19.02.2022 निश्चित की गई एवं तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2022 को अपीलकर्ता को अनुपस्थित दर्शाकर एवं जवाब का अवसर बंद कर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे यह प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए एकपक्षीय एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त करने योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांत ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पटवार हल्का द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उक्त प्रार्थना पत्र में भी वादग्रस्त भूमि को सरकारी भूमि दर्शाया गया है एवं अपीलकर्ता का अतिक्रमण बताया है, जबकि वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलकर्ता का कब्जा वक्फ सम्पत्ति खसरा नंबर 61/11 पर विद्यमान है। उक्त वादग्रस्त भूमि न होकर ईदगाह व क़स्तान की भूमि है जो वक्फ अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्फ सम्पत्ति को राजकीय भूमि दर्शाकर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे यह प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन फानन में एवं राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही तथा सम्पूर्ण जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा



दिनांक 23.09.2022 को अपीलकर्ता एवं उनके वकील को गैर हाजिर बताकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी तत्समय न तो अपीलकर्ता को हुई और न ही अपीलकर्ता के अधिवक्ता को हुई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलकर्ता को नोटीस प्रेषित कर कब्जा हटाने हेतु दिनांक 04.01.2024 को निर्देश दिए गए। जिस पर अपीलकर्ता को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपित दिनांक 11.01.2024 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांत की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 23.09.2022 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने अपीलांत के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांत ने इस अपील के द्वारा मौजा सिणधरी चौसीरा के खसरा नंबर 61/11 गैर मुमकिन कब्रिस्तान पर अपना कब्जा-आधिपत्य होना प्रकट किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 13.09.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वयं अपीलांत ने अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं, तो उसे अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके अलावा अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 2(ख) के अंकित अनुसार मौजा सिणधरी चौसीरा के खसरा नंबर 61 भूमि पूर्व में गैर मुमकिन गौचर भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। इसके बाद जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.12(3)(19) राजस्थान/99/3847-53 दिनांक 28.06.1999 द्वारा आवंटन होने से गैर मुमकिन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई थी। उक्त भूमि पर अपीलांत द्वारा आंशिक हिस्से पर कैबिन एवं दुकाने के रूप में कब्जा होना बताया गया एवं पत्रावली में उक्त आवंटन आदेश से



संबंधित दस्तावेज अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। साथ ही वर्तमान राजस्व रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है, जिसे कब्रिस्तान के प्रयोजन हेतु आवंटित (आरक्षित) किया गया था, लेकिन अपीलांट द्वारा आवंटन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किया जाना अपीलांट ने स्वयं ने अपील में स्वीकार किया है। चूंकि अपीलांट द्वारा मुतनाजा भूमि का आवंटन के उद्देश्य के विपरीत जाकर व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश क्रमांक 05/2022 दिनांक 23.09.2023 को बहाल रखा जाता है। तथा तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

8. निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा